न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 71/2012 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री भेरूलाल पिता खेमराज जी खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री जमनालाल पिता खेमराज जी खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री ओमप्रकाश पिता रूपलाल जी खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कमलचन्द पिता रामाजी खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर **(फोत) रेकार्ड से नाम हटाया गया दिनांक 25–7–2017**
2. श्री खेमराज पिता कमलचन्द जी खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री रूपलाल पिता कमलचन्द जी खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री प्रेमलाल पिता कमलचन्द जी खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
5. श्रीमती फूलवन्ती पुत्री कमलचन्द जी खटीक पत्नी महेन्द्र जी खटीक निवासी भानसोल गढ़वाल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती सोनी पुत्री कमलचन्द जी खटी पत्नी देवीलाल जी खटीक निवासी बागोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्रीमती मांगी पुत्री खेमराज जी खटीक पत्नी अरूण जी खटीक निवासी पलाना तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
8. श्रीमती भागवन्ती पुत्री खेमराज जी खटीक पत्नी जगदीश जी खटीक निवासी विजनवास तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
9. श्रीमती शारदा पुत्री रूपलाल जी खटीक पत्नी राजेशजी खटीक निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

10. श्रीमती कमली बाई पत्नी कमलचन्द जी खटीक निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर
12. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर
13. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली जिला उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी मावली दिनांक 12–06–2012 प्रकरण
संख्या 199/2011 वाद

———

उपस्थित :–1– श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री शांतिलाल चपलोत अभिभाषक रेस्पो. सं.–1,5,10

———/———

निर्णय **दिनांक 26–09–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादीगण द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धरा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नाहरमगरा में वादपत्र की कलम संख्या–1 में वर्णित आराजीयात कूल किता–6 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। पक्षकारान का सजरा वादपत्र की कलम संख्या–2 अनुसार होकर कमलचन्द के पुत्र खेमराज के पुत्र वादी संख्या 1 व 2 तथा कमलचन्द के पुत्र रूपलाल के पुत्र वादी संख्या–3 ओमप्रकाश है। विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक संपत्ति होकर विवादित भूमियों में उनका जन्म से अधिकार है तथा वे काबिज है। वादीगण का विवादित भूमियों में प्रत्येक का 1/30 हिस्सा है तथा भूमियां भी प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज होने से उसे प्रतिवादी संख्या–1 वादीगण के पिता, भूआ व दादी के बहला–फूसलाने से बेचने को प्रतिवादी संख्या–1 आमादा है। प्रतिवादी संख्या–10 वादीगण की सौतेली दादी होकर कमलचन्द की नातायात पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या–1 को बहला–फूसला

कर पैतृक भूमियां आराजी नंबर 3869/359 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 5, 6, 10 के पक्ष में करवा दिया, अब और भी भूमियां बेचने को आमादा है। अतएव वादीगण संख्या–1 व 2 को 1/30. हिस्सा तथा वादी संख्या–3 को 1/18 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा व अन्य उचित विधिक अनुतोष दिलवाया जाय।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कमलचन्द व कमलीबाई द्वारा आदेश–7, नियम–11 एवं धारा–151 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने सजरे में जो वर्णन किया है, उस अनुसार विवादित भूमियां कमलचन्द की स्व–अर्जित है। उसकी स्व–अर्जित संपत्तियों में पुत्र व पोतों का कोई हक नहीं है तथा वादीगण का कोई स्वत्व ही नहीं है, तो वादीगण का वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में वादीगण द्वारा खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का स्पष्ट कथन है कि भूमियां कमलचन्द के नाम दर्ज है, परन्तु भूमियां पैतृक है। विवादित भूमियां पैतृक होने से उसका जन्म से अधिकार है। भूमियां पैतृक होने का बिन्दू साक्ष्य से तय होगा, अतएव जवाबदावा लेकर तनकीयातय कायम कर निर्णय किया जाना वांछनीय है। आवेदन विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाय।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 12–6–2012 से प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट का आवेदन स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 12–6–2012 से रूष्ट होकर अपीलान्ट वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 2–7–2012 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 5 व 10 की और से अधिवक्ता श्री शांतिलाल चपलोत ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–11, 12, 13 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित

तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बिना व साक्ष्य लिये बिना भूमियों को कमलचन्द की स्व–अर्जित संपत्ति मान ली, जबकि भूमियां पैतृक व स्व–अर्जित होने का बिन्दू साक्ष्य पर अवलम्बित था।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा कहीं भी भूमियों को स्व–अर्जित कमलचन्द की होना वर्णित नहीं किया है तथा वाद की प्लीडिंग से इतर जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य भूमियों को कमलचन्द की स्व–अर्जित संपत्ति है, इस आधार पर जवाबदावे, साक्ष्य व तनकी से पूर्व मान लिया कि अपीलान्ट वादी द्वारा पैतृक संपति बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वस्तुतः अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण तलबी में विचाराधीन था तथा वादी अपीलान्ट द्वारा कहीं भी भूमियों को कमलचन्द की स्व–अर्जित संपत्ति होना वर्णित नहीं किया था। आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी के वाद में वाद की प्लीडिंग के स्थान पर प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के कथनों पर बिना साक्ष्य भूमियों को स्व–अर्जित माने जाने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निसन्देह त्रुटि की है।

अपीलान्ट वादी द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की है :–

1. **R B J (17)–2010 Page 721 – भूमि मौरूषी होना साक्ष्य से तय होगा।**
2. **RLW –2010 Page 313 – मौरूषी होने पर पुत्रों का जन्म से हक होता है।**
3. **RRT –2010(2)– Page 1336 – भूमियां मोरूषी होना विधि व तथ्यों का मिश्रित बिन्दू होकर साक्ष्य से तय होगा।**

4. **RLW –2007(2)– Page 997 – आर्डर–7, रूल्स 11 के आवेदन में जो बिन्दू साक्ष्य से तय होने है, उन्हें आवेदन से निर्णित नहीं किया जा सकता।**

5. **RRT–2003(1)– Page 633 – महत्वपूर्ण बिन्दूओं को जवाबदावे से उठाकर तनकियों व साक्ष्या से ही निर्णित किया जाना चाहिए।**

6. **RBJ –2010(17)– Page 313 – वादपत्र में कोई विधि विरूद्ध तथ्यों का समावेश नहीं हो तो आदेश–7, नियम–11 स्वीकार नहीं किया जा सकता।**

अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा उपरोक्त समस्त न्यायिक नजीरें इस प्रकरण से सुसंगत है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद में वर्णित किसी भी तथ्य के विधि विरूद्ध नहीं होने के बावजूद साक्ष्य पर अवलम्बित मौरूषी भूमियों के स्थान पर प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अप्रमाणित आवेदन के आधार पर भूमियों को कमलचन्द की स्व–अर्जित मानकर आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज करने में तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि की है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–6–2012 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारान को सुनकर जवाबदावा लेकर, तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर तनकीवार विधिवत निर्णय पारित करें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–09–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर